मध्यप्रदेश शासन

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

मंत्रालय

क्रमांक I/407440/2025/26-2 भोपाल दिनांक **01-08-2025**

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
3. समस्त आयुक्त, नगर निगम, मध्यप्रदेश
4. समस्त संयुक्त/उप संचालक,
   सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश

विषय:- पेंशन योजनाओं में ई-केवायसी कराये जाने के संबंध में।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभागांतर्गत संचालित समस्त पेंशन योजनाओं के हितग्राही लगभग **56** लाख हितग्राहियों में से लगभग **3.50** लाख हितग्राहियों का ईकेवायसी सत्यापन नहीं हो पाया है। इस संबंध में पूर्व में अभियान चलाकर ईकेवायसी कराये जाने के निर्देश प्रसारित किये जा चुके है। शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने तथा अपात्र हितग्राहियों को हटाने हेतु समस्त हितग्राहियों का ईकेवायसी होना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में शासन द्वारा यह निर्णय लिया है कि अभियान चलाकर शेष हितग्राहियों का ई-केवायसी दिनांक **31/08/2025** तक कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ ही समस्त हितग्राहियों को अवगत कराया जाये कि यदि दिनांक **31/08/2025** तक ई-केवायसी नहीं कराया जाता है तो पेंशन होल्ड कर दी जायेगी।

दिनांक **31/08/2025** के पश्चात यदि पेंशन होल्ड किये गये किसी हितग्राही द्वारा पेंशन शुरू करने की मांग की जाती है, तो यह ईकेवायसी के पश्चात ही संभव होगा।

इस आशय का व्यापक प्रचार-प्रसार कर उपरोक्तानुसार समय सीमा में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

Digitally signed by
Ankita Dhakre
Date: 01-08-2025
10:45:32

(अंकिता धाकरे)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

पृ0क्र0 I/407440/2025/26-2 भोपाल दिनांक **01-08-2025**

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश।
4. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रबंध संचालक, एम.पी.एस.ई.डी.सी. की ओर पेंशन योजनाओं में ईकेवायसी कराने वाले हितग्राहियों (दिव्यांग, वृद्धजन) को आईरिस, फिंगर प्रिंट, अथवा फेस ऑथेंटिकेशन आदि सुविधा का उपयोग कर ईकेवायसी पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।
6. पी.आर.ओ., माननीय मंत्रीजी, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर उक्तानुसार व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु।
7. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग